संख्याः 4176/9–आ–3–98–626डी0ए0/92

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 05 फरवरी,1998

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की योजनाओं के मानचित्रों की स्वीकृति की व्यवस्था।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 8911/9–आ–5–92–626डी0ए0/92 दिनांक 26.12.1992 द्वारा आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, इलाहाबाद, रायबरेली, वाराणसी, हरिद्वार, उन्नाव–शुक्लागंज, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर और लखनऊ विकास प्राधिकरणों की सीमा के अन्तर्गत स्थित उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की योजनाओं में भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम को सम्बन्धित प्राधिकरण का पदेन उपसचिव बनाया गया था और निगम के द्वारा आवंटित भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु उन्हें उपाध्यक्ष के अधिकार प्रतिनिहित किये जाने के आदेश किये गये थे। शासन द्वारा विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश का प्रसार समस्त अन्य एवं अवशेष विकास प्राधिकरण पर कर दिया जाये ताकि उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की नयी योजनाओं में समान रूप से यह लाभ आवंटियों को दिया जा सके।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया के सरलीकरण के उद्देश्य से श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन यह निदेश देते हैं कि निगम के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों के कार्यक्षेत्र में स्थापित विकास प्राधिकरणों में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को पदेन उपसचिव माना आयेगा और ऐसे पदेन उपसचिव द्वारा निगम के द्वारा आवंटित भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन किये जाने हेतु सम्बन्धित उपाध्यक्ष द्वारा अधिनियम की धारा–51 के अधीन अपने अधिकार प्रतिनिहित किये जाये। मानचित्र स्वीकृति के समय विकास प्राधिकरण में प्रभावी महायोजना, विनियम, उपविधि, नियमावली एवं शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। पर्व में जारी किया गया शासनादेश दिनांक 26.12.1992 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठ संख्याः 4176(1)/9–आ–3–98, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम, कानपुर।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को इनके पत्रांक दिनांक 22.10.97 के सन्दर्भ में।
6. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव